संख्या-884/2018/1567/22-2-2018-17(61)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर , 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुभाष पुत्र श्री कल्याण जाट, निवासी-जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5/दया0(बैठक 07.08.2018) दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सुभाष पुत्र श्री कल्याण जाट, ग्राम फहीमपुर, थाना-सिखेडा, जनपद- मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा हत्या व मुकदमें की रंजिश को लेकर दिनांक 12.01.2000 को 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी तमन्चा व राईफल से अन्धाधुन्ध फायरिंग करके 08 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-342, 344/2000 में भा0द0वि0 की धारा- 148, 452, 302/149 व 27ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष (ई0सी0एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.12.2017 तक 17 वर्ष 09 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 11 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बंदी सुभाष (बन्दी संख्या-8242) पुत्र श्री कल्याण जाट, निवासी-जनपद- मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-884/2018/1567(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in